


अति अल्पकालीन कार्य सूचना

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत निर्माण कार्य नियमावली 1984 (यथासंशोधित) के प्राविधानों एवं आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के आदेश सं 335/पी0ए0-2018 दिनांक 17.01.2018 के क्रम में ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिलानिधि की धनराशि से नौचन्दी स्थित नाट्यशाला में 200 वृक्षों का रोपण कार्य की निविदा जिला पंचायत, मेरठ द्वारा दिनांक 07.08.2019 को सांय 2.00 बजे तक (मैनुवल प्रक्रिया से) आमन्त्रित की जाती हैं, निविदाओं का विक्रय दिनांक 07.08.2019 को दोपहर 1.00 बजे तक किया जायेगा और जनपद की वेबसाईट से भी अपलोड कर निविदा प्रपत्र प्राप्त किया जा सकता है। निविदा निविदा समिति द्वारा दिनांक 07.08.2019 को सांय 3.00 बजे इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। निविदा का विस्तृत विवरण जनपद की वेबसाईट (<http://meerut.nic.in>) पर दिनांक 05.08.2019 को प्रातः 11.00 बजे से एवं कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में देखा जा सकता है। निविदा के साथ 2 प्रतिशत जमानत राशि की राष्ट्रीकृत बैंक की एफ0डी0आर0 अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मेरठ के पदनाम से बंधक, संलग्न करना अनिवार्य है। टैन्डर मूल्य जी0एस0टी0 सहित जिला पंचायत की जिलानिधि के सिडिकेट बैंक कचहरी शाखा मेरठ के खाता सं 88372200058745 में जमा कर सकते हैं।

नोट :-01-कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा।

- 02- किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिये अनर्ह था या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओ नोटिस अवश्य दी जायेगी।
- 03- शासनादेश सं 522/23-12-2012-2आडिट/08टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below देने पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
  - अ- 10 % Below तक दर पर 0.50 % प्रति 1.00 % कम (Below) दर के लिए।
  - ब- 10 % से अधिक Below तक दर पर 1.00 % प्रति कम (Below) दर के लिए।
- 04- कार्य प्रारम्भ की तिथि से पूर्व श्रम विभाग में कार्य एवं श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।
- 05- वनविभाग के नवीनतम Specification एवं SOR के अनुरूप ठेकेदार को कार्य करना होगा।
- 06- निविदाकी बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्य की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों/फर्मों से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में स्थल से सम्बन्धित कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। किसी भी विवाद के सम्बन्ध में मा0 अध्यक्ष/सक्षम अधिकारी का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।
- 07- निविदादाता/फर्म का वाणिज्य कर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकरण होना अनिवार्य तथा उनके सभी देयकों से निम्नानुसार सभी कर जैसे जी0एस0टी0, आयकर, लेबर सैस आदि जो समय-समय पर केन्द्र/राज्य सरकार से निर्धारित किया जाता है, की कटौती की जायेगी।
- 08- यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्यदिवस में खोली जायेगी।
- 09- मा0 अध्यक्ष /सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदाएं बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है जिसके लिए कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
- 10- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 11- कार्यदिश निर्गत होने के उपरान्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से लिखित में कार्यालय को अवगत कराना होगा।
- 12- ठेकेदार द्वारा निविदा का वित्तीय प्रस्ताव जी0एस0टी0 को छोड़कर दिया जायेगा। उक्त कर ठेकेदार को अलग से नियमानुसार देय होगा और उसकी नियमानुसार कटौती की जायेगी।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	धनराशि	धरोहर राशि	टैन्डर मूल्य जी0 एस0 टी सहित	अवधि
1	नौचन्दी स्थित नाट्यशाला में 200 वृक्षों का वृक्षारोपण कार्य	86655	1733	118	08 दिन

  
अभियन्ता  
जिला पंचायत, मेरठ

कार्यालय जिला पंचायत, मेरठ।

अपर मुख्य अधिकारी  
जिला पंचायत, मेरठ


पत्रांक-9613/11/जि0पं0 मेरठ/2019-2020

दिनांक:- 31.07.2019

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. मा0 अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत, मेरठ।
4. मा0 जिला जज, मा0 जिलाधिकारी, मा0 मुख्य विकास अधिकारी, समस्त विकास खण्ड जनपद मेरठ को नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।
5. अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मेरठ को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेशानुसार बैबसाईट <http://meerut.nic.in> पर निविदा फार्म सहित निविदा सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड कराने का अनुरोध है।
6. वित्तीय परामर्शदाता, जिला पंचायत, मेरठ को सूचनार्थ।
7. जिला पंचायत मेरठ के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचनार्थ।
8. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

309 Dio Mik

  
अपर मुख्य अधिकारी,  
जिला पंचायत मेरठ।

अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)

मेरठ।  
01-08-19

NFE(RT)  
upload on website  
2-8-19